मैनुअल/हाईड्रा/लोडर से गोल प्रकाष्ठ एवं जलौनी की चट्टाबन्दी कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा की शर्तें

उत्तर प्रदेश वन निगम, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग के अन्तर्गत कैलापुर (मुजफ्फरनगर), कुमराला (अमरोहा) एवं खुर्जा (बुलन्दशहर) डिपुओं में वित्तीय वर्ष 2026–27 में लौगिंग से प्राप्त होने वाले सभी लम्बाई एवं मध्यघेरी के गोल प्रकाष्ठ एवं जलौनी की मैनुअल/हाईड्रा/लोडर आदि से चट्टाबन्दी/स्टैकिंग कार्य हेतु दिनांक 02.09.2026 के अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा पेटी/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर डाक द्वारा प्राप्त निविदायें विक्रय अधिकारी, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, रिठानी मेरठ के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन इसी कार्यालय में अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं निविदा शर्ते निर्धारित मूल्य सभी करो सहित रु0–500.00 नकद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो प्रभागीय विकय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, मेरठ के पदनाम से बना तथा मेरठ स्थान पर देय हो भुगतान करके दिनांक 24.08.2026 से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। उक्त निविदा की सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेवसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते है परन्तु निविदा फार्म के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

मैनुअल/हाईड्रा/लोड्र से गोल प्रकाष्ठ एवं जलौनी की चटट्ाबन्दी कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा की शर्ते निम्न प्रकार होगी–

1. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को बन्धक धनराशि के रूप में रू0 50000.00 (रूपया पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो प्रभागीय विकय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, मेरठ के पदनाम से बना तथा मेरठ स्थान पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. विभिन्न डिपुओ में जंगल से प्राप्त होने वाले वाली मात्रा अनुमानित हैं। डिपो में प्राप्त सभी गोल प्रकाष्ठ एवं जलौनी की समस्त मात्रा की स्टैकिंग/चट्टाबन्दी करनी होगी।
3. निविदादाता को डिपो में प्राप्त सभी लम्बाई एवं मध्य घेरी के प्राप्त वास्तविक गोल प्रकाष्ठ एवं जलौनी के मात्रा की गोलाईवार एवं लम्बाईवार प्लाट प्रभारी के निर्देशन में करनी होगी।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा न स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विक्रय अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, रिठानी (मेरठ) को होगा।
5. निविदादाता द्वारा डिपोवार निविदा दर प्रति घनमीटर के आधार पर दी जायेगी।

24-8-26

Scanned with OKEN Scanner

6. निविदादाता द्वारा दी गयी दर में स्टैकिंग एवं चट्टाबन्दी के समस्त व्यय सम्मिलित रहेंगे। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अलग से कोई धनराशि भुगतान नहीं की जायेगी।

7. प्रकाष्ठ स्टैकिंग का कार्य सम्बन्धित प्लाट प्रभारी एवं डिपो अधिकारी के निर्देशन में नियमानुसार करना होगा।

8. न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विक्रय अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, रिठानी (मेरठ) होगा।

9. निविदा दर वर्ष 2026–27 में लौगिंग से डिपो में प्राप्त हुए गोल प्रकाष्ठ एवं जलौनी की स्टैकिंग/चट्टाबन्दी के लिए लागू रहेगी।

10. मैनुअल/हाइड्रा/लोडर मशीन में प्रयुक्त होने वाले ईधन एवं श्रमिक आदि की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा।

11. स्टैकिंग/चट्टाबन्दी के समय किसी भी जान माल की क्षति हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। उ०प्र० वन निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

12. लौगिंग से डिपो में प्रकाष्ठ एवं जलौनी प्राप्त होने की तिथि से 05 दिन के अन्दर स्टैकिंग/चट्टाबन्दी कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश निरस्त करते हुये जमा बन्धक धनराशि जब्त कर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डिपो अधिकारी को यह अधिकार होगा की वह किसी अन्य से स्टैकिंग/चट्टाबन्दी का कार्य करा ले।

13. स्टैकिंग कार्य पूर्ण होने एवं संतोषजनक होने के उपरान्त सम्बन्धित डिपो अधिकारी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान डिजिटल/चैक के माध्यम से विक्रय अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, रिठानी (मेरठ) द्वारा किया जायेगा।

14. निविदादाता से उसके बिल से नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित आयकर एवं अन्य कर (यथा जी०एस०टी० आदि) जो लगाये जायेंगे, उनकी भी वसूली की जायेगी।

15. निविदादाता द्वारा अपना पैन कार्ड एवं जी०एस०टी०एन० की छायाप्रति डिपो अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसे डिपो अधिकारी द्वारा भुगतान करने हेतु प्रस्तुत बिल के साथ प्रभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

16. डिपो अधिकारी को यह अधिकार होगा कि डिपो में निविदादाता द्वारा समय से संतोषजनक कार्य न करने की दशा में निविदादाता को बिना कोई सूचना दिये उत्तर प्रदेश वन निगम के हित में वह अन्य किसी माध्यम से स्टैकिंग/ग्रेडिंग का कार्य करा ले।

17. उपरोक्त शर्तों के पालन सम्बन्धी किसी भी प्रकर के विवाद उत्पन्न होने की दशा में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० वन निगम, मेरठ मध्यस्थ (आर्विटेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षो को मान्य होगा ।

18. निविदादाता द्वारा स्टैकिंग/चट्टाबन्दी कार्य के लिय प्रयोग में लाये जाने वाले किये जाने वाले हाइड्रा/लोडर/पंजा मशीन परिवहन विभाग में वाणिज्यिक प्रकार में पंजीकृत होना अनिवार्य है जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।

Scanned with OKEN Scanner

19. निविदादाता को सेवा एवं वस्तु कर अधिनियम 2017 के अर्न्तगत जी०एस०टी०एन० में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। निविदा के साथ निविदादाता को जी०एस०टी०एन० की प्रमाणित प्रति लगानी अनिवार्य होगी।

20. उपरोक्त शर्तों को शिथिल करने एवं अतिरिक्त कोई शर्त बढ़ाने का अधिकार विक्रय अधिकारी को रहेगा।

21. राज्य विधिक परिषद (स्टेट बार कौंसिल) में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग करते है तो, उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि ठेका/पट्टा आवंटित होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसा ठेका/पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

विक्रय अधिकारी

विक्रय अधिकारी
उ० प्र० वन निगम
गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner